प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक– 1593/नि0शा0/2019–20 दिनांक– 28-8-, 2019.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 (कार्यान्वयन वर्ष 2019–20) ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 238.14 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत धनराशि रू0 396.00 लाख (रू0 तीन करोड़ छियानब्बे लाख) – की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 18/2019/863/सत्रह–म–2019–6–9–(9)/14 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त 2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 (कार्यान्वयन वर्ष 2019–20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश 238.14 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत धनराशि रू0 396.00 लाख (रू0 तीन करोड़ छियानब्बे लाख) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के कियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या 20/2016/2362/सत्रह–म–2016–6–9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या 2/2018/2236/सत्रह–म–2018–6–9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग–निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर–3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1/2019/बी–1–170/दस–2019–231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा शासनादेश संख्या– बी0–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

9– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10– व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान सं0–83 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पाल 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0102– ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, (के0 36/रा0 24/ला0 40–के0+रा0) 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

13– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (95) पर अंकित है।

भवदीया,

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3– अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5– उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेशित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

28-8

पत्रांक– /नि0शा0/2019–20 दिनांक– , 2019.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 (कार्यान्वयन वर्ष 2019–20) ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 238.14 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत धनराशि रू0 396.00 लाख (रू0 तीन करोड़ छियानब्बे लाख) – की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 18/2019/863/सत्रह–म–2019–6–9–(9)/14 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त 2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 (कार्यान्वयन वर्ष 2019–20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश 238.14 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत धनराशि रू0 396.00 लाख (रू0 तीन करोड़ छियानब्बे लाख) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैंनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के कियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या 20/2016/2362/सत्रह–म–2016–6–9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या 2/2018/2236/सत्रह–म–2018–6–9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग–निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर–3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1/2019/बी–1–170/दस–2019–231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा शासनादेश संख्या– बी0–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

9– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10– व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान सं0–83 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पाल 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0102– ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, (के0 36/रा0 24/ला0 40–के0+रा0) 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

13– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (95) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 1593/नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3– अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5– उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेशित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-27/08/2019

प्रेषण संख्या:- 1

आवंटन आदेश संख्या:- 001-Solar Power Aquaculture Allotment 22-8-2019

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना (के.36/रा.24/ता 40 - के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	900000 7897300	900000 7897300
	योग	वर्तमान प्रगामी	900000 7897300	900000 7897300

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठहत्तर लाख सत्तानवे हजार तीन सौ

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

complete

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-23/08/2019

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-Small Feed Mill Allotment 22-8-2019
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना (के.36/रा.24/ता 40 - के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 771000	600000 771000
2	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 852000	600000 852000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1200000 1623000	1200000 1623000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह लाख तेइस हजार

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

A complete

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-23/08/2019

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-Establishment of Fish Seed hatchery 22-8-2019
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना (के.36/रा.24/ता 40 - के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 2207500	1500000 2207500
2	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1806000	1500000 1806000
3	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1680000	1500000 1680000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4500000 5693500	4500000 5693500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैंतालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छप्पन लाख तिरानवे हजार पाँच सौ

(पूजा यादव)
वित्त एवं लेखाधिकारी

complete

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-23/08/2019

प्रेषण संख्या:- 1

आवंटन आदेश संख्या:- 001-RAS Medium Allotment 22-8-2019

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना (के.36/रा.24/ता 40 - के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	3000000 3436500	3000000 3436500
2	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 7806000	6000000 7806000
3	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3333000	3000000 3333000
4	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	6000000 6997300	6000000 6997300
5	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 6977700	6000000 6977700
6	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3000000	3000000 3000000
7	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3876000	3000000 3876000
8	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3108000	3000000 3108000
	योग	वर्तमान प्रगामी	33000000 38534500	33000000 38534500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ तीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ पंचासी लाख चौंतीस हजार पाँच सौ

(पूजा यादव)
वित्त एवं लेखाधिकारी

complete

222/नि0शा0
07/8/2019

संख्या: 18/2019/ 863 /सत्रह-म-2019-6-9 (9)/14 टी0सी0

प्रेषक,

बी0एल0 मीना,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग   लखनऊ: दिंनाक 06 अगस्त,2019

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त/ पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 238.14 के सापेक्ष अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत धनराशि रू0 396.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या -181 /नि0शा0/2019-20 दिनांक 05.07.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त /पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 238.14 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत केन्दांश धनराशि रू0 237.60 लाख एवं मैंचिग राज्यांश रू0 158.40 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 396.00 लाख (रू0 तीन करोड छियान्यबे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0-1203113 /37/2017-एफवाई, दिनांक 26 मार्च, 2018 एवं तत्क्रम में निर्गत समसंख्यक शुद्धि पत्र दिनांक 11जून, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल रू0 7665.67 लाख की परियोजना स्वीकृत की गयी थीं, जिसमें केन्द्रांश रू0 2279.86 लाख, राज्यांश रू0 1388.04 लाख एवं लाभार्थी अंश रू0 39997.77 लाख की धनराशि निहित है। उक्त केन्द्रांश रू0 2279.86 लाख में से अनुसूचित जाति हेतु चार परियोजनाओं के लिए कुल रू0 264.60 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।

3- भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-1203113 /37/2017-एफवाई, दिनांक 26 मार्च,2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (अनुसूचित जाति सब प्लान) में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

07/08/19

रू0 238.14 लाख की केन्द्रीय सहायता अवमुक्त की गयी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक में बजट व्यवस्था न हो पाने के कारण उक्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका। भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0-1203113 /48/2017-एफवाई, दिनांक 20 जून, 2019 द्वारा केन्द्रांश धनराशि रू0 238.14 लाख को वर्ष 2019-20 में व्यय किये जाने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन हेतु कुल रू0 736.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

4- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त/ पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 238.14 के सापेक्ष, केन्दांश रू0 237.60 लाख तथा मैंचिग राज्यांश रू0 158.40 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 396.00 लाख (रू0 तीन करोड छियान्यबे लाख मात्र) को निम्न तालिकानुसार 04 मदों में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	अनुमन्य अनुदान	निर्गत होने वाली वित्तीय स्वीकृति की धनराशि			अभ्युक्ति
					केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सोलर पावर सपोर्ट सिस्टम फार एक्वाकल्चर	1	15.00	9.00	5.40	3.60	9.00	निदेशक मत्स्य के पत्र सख्या 181/ नि0शा0 /2019-20 दिनांक 05 जुलाई 2019 द्वारा जनपदवार उपलब्ध कराये गये संलग्नक के विवरण के अनुसार।
2	स्माल फीड मिल	2	10.00	6.00	7.20	4.80	12.00	
3	रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम	11	50.00	30.00	198.00	132.00	330.00	
4	हैचरियोंकी स्थापना	3	25.00	15.00	27.00	18.00	45.00	
	कुल योग -				237.60	158.40	396.00	

(रू0 तीन करोड छियान्बे लाख मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या- संख्या- 20/2016/2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर,2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या- संख्या- 2/2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है

निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017- एफवाई दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर-3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 तथा शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर /बैक में जमा नहीं किया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना(के036/रा024/ला040-के0+रा0) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं। यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0एल0मीना)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 18/2019/863 (1)/ सत्रह-म-2019 तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

Annexure-1

(A)Establishment of Fish seed hatchery (D.P.R.) 2017-18 of S.C. category only

Rs. IN LAKH

S no	Division	District	No Of Benificiary	Project cost	Total Subsidy (C.s+Ss)	central share	state share
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kanpur	kannauj	1	25.00	15.00	9.00	6.00
2	Lucknow	Hardoi	1	25.00	15.00	9.00	6.00
3	Jhansi	Lalitpur	1	25.00	15.00	9.00	6.00
Total			3	75	**45.00**	**27.00**	**18.00**

(B)Solar Power Aquaculture (D.P.R.)2017-18 of S.C. category only

S no	Division	District	No. Of Benificiary	Project cost	Total Subsidy (C.s+Ss)	central share	state share
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ayodhya	Barabanki	1	15.00	9.00	5.40	3.60
Total			1	15.00	9.00	5.40	3.60

(C)Small Feed Mill (D.P.R.)2017-18 of S.C. category only

S no	Division	District	No. Of Benificiary	Project cost	Total Subsidy (C.s+Ss)	central share	state share
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Azamgarh	Mau	1	10.00	6.00	3.60	2.40
2	Lucknow	Sitapur	1	10.00	6.00	3.60	2.40
Total			2	20.00	12.00	7.20	4.80

(D)R.A.S. Medium (D.P.R.)2017-18 of S.C. category only

S no	Division	District	No. Of Benificiary	Project cost	Total Subsidy (C.s+Ss)	central share	state share
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gorakhpur	Maharajganj	1	50.00	30.00	18.00	12.00
2	Ayodhya	Barabanki	2	100.00	60.00	36.00	24.00
3	Devipatan	Balrampur	1	50.00	30.00	18.00	12.00
4		Bahraich	2	100.00	60.00	36.00	24.00
5	Lucknow	Hardoi	2	100.00	60.00	36.00	24.00
6		Lakhimpur Kheeri	1	50.00	30.00	18.00	12.00
7	Prayagraj	Prayagraj	1	50.00	30.00	18.00	12.00
8	Aligarh	Hathras	1	50.00	30.00	18.00	12.00
Total			11	550.00	330.00	198.00	132.00
Total	(A)+(B)+(C)+(D)=			**660.00**	**396.00**	**237.60**	**158.40**